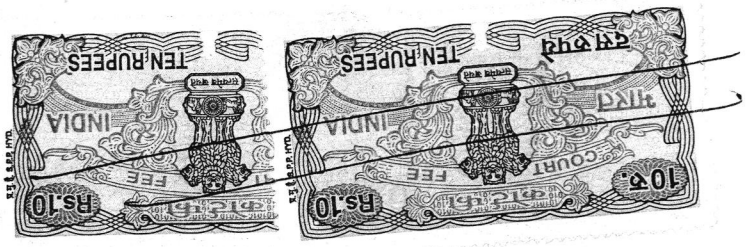

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-3691-PBR/14 **केम्प भोपाल**

1. सुरेशचंद आ. स्व. रामचरण व्यस्क जाति लुहार (विश्वकर्मा) निवासी गांधी बाजार नगर पालिका परिषद व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.।

2. दिनेश कुमार आ. बल्लू जाति साहू व्यस्क निवासी खिरिया नारायण दास नगर पालिका परिषद व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.।

पुनरीक्षणकर्ता गण /याचिकाकर्ता गण

वनाम

श्री आई. एस. शुक्ला अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 29-10-14 को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत।
29-10-14

1. म.प्र. वक्फ वोर्ड भोपाल द्वारा फारूक वेग आ. स्व. फाजिल वेग व्यस्क जाति मुस्लमान निवासी गांधी बाजार नगर पालिका परिषद व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

2. म.प्र. शासन ।

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता गण / उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

3/11/14

पुनरीक्षण आदेश दिनांक 14.10.2014 प्रकरण क्र. 22–अ–6अ/13–14 न्यायालय तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3691–PBR / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 में अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी इसी कारण से ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में म.प्र. वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल में मामला प्रचलित है । म.प्र. वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल में मामला प्रचलित होने से तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाना विधिसंगत नहीं है, और म.प्र. वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल द्वारा जो आदेश पारित किया जायेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रकरण निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	